

38/22

क-छ काम उरली

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पीएचसीन अधिकारी महोदय को पत्रावली पेश की गई है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/5/24 को पेश हो।</p>
	17/5/24	<p>पत्रावली आज दिनांक 17/5/24 को पेश हुई। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/5/24 को पेश हो।</p>
	27/5/2024	<p>पत्रावली आज दिनांक 27/5/2024 को पेश हुई। दि. डिस्ट्रिक्ट एड. वार एचो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/6/24 को पेश हो।</p> <p>(तहसीलदात हेतु रिपोर्ट)</p>
	18/6/2024	<p>पत्रावली आज दिनांक 18/6/2024 को पेश हुई। दि. डिस्ट्रिक्ट एड. वार एचो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/7/24 को पेश हो।</p>
	16/7/2024	<p>पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता वासी उपस्थित। तहसीलदात से रिपोर्ट पर करी आगामी तारीख पेशी पर बहस करे। पत्रावली दिनांक 25/7/24 को पेश हो।</p>
		<p>सहायक कलक्टर आमेर नं. जयपुर</p>
	25/7/2024	<p>पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता वासी उपस्थित। तहसीलदात रामपुरा-डाबड़ी से प्राप्त रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। पत्रावली व रिपोर्ट का झवलेकन किया गया। तहसीलदात रामपुरा-डाबड़ी ने उपर्युक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि</p>

फर्द अहकाम

नवजु

बनाम गुल्ली

म न्यायालय

ACM आमेर कु.प.प.र.

स संख्या

38/2022 दवा

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>जयपुर में विवादित झारानीपाट पर जैख गृह निर्माण सफाई द्वारा गणेश मठ आवसीय कॉलोनी विकसित है। अतः कुरजात रिपोर्ट बनाना संभव नहीं है। बूक विवादित झारानी पर कॉलोनी विकसित हो चुकी है। अर्थात् वर्तमान उक्त भूमि कृषि भूमि ना होकर आवसीय हो चुकी है। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुका होकर दाखिल पत्र हो</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>सहायक न्यायाधिवक्ता आमेर मु. प्रयपुर</p>	